## <u>न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, आमला, जिला बैतूल</u> (पीठासीन अधिकारी — श्रीमती मीना शाह)

<u>व्य.वाद. क्रमांक:— 29ए / 17</u> संस्थापन दिनांक:— 12.08.2017 फाईलिंग नं. 39 / 2017

गुलाबराव पिता रामजी, उम्र 58 वर्ष निवासी बोड़खी, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

....<u>वादी</u>

#### वि रू द्ध

- 1. रूपलाल पिता रामजी, उम्र 40 वर्ष
- किशोर पिता रामजी, उम्र 35 वर्ष दोनों निवासी बोड़खी, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा कलेक्टर जिला बैतूल (म.प्र.)

.....प्रतिवादीगण

# <u>-: ( आदेश ) :-</u>

### (आज दिनांक 30.10.2017 को पारित)

- 1 इस आदेश द्वारा वादीगण की ओर प्रस्तुत आवेदन क्रमांक—1 अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सहपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का निराकरण किया जा रहा है।
- 2 आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादी के पिता रामजी के नाम से ख.नं. 350 एवं 347/2 में से भूमियां रिजस्टर्ड विक्रय पत्र से वर्ष 1995 एवं 1999 में क्रय की गयी थी। जब भूमियां क्रय की गयी तब प्रतिवादीगण कोई आय अर्जित नहीं करते थे और न ही पिता रामजी आय अर्जित करते थे। वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता रामजी की मृत्यु उपरांत वादी के द्वारा विवादित भूमियों पर अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया परंतु प्रतिवादीगण ने उपर्युक्त आवेदन के जवाब में यह बताया कि विवादित भूमियां रामजी के द्वारा उन्हें वसीयत कर दी गयी है। विवादित भूमियां तहसीलदार आमला के आदेश दिनांक 18.10.2008 के द्वारा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गयी। वादी के द्वारा उपर्युक्त आदेश की अपील अनुविभागीय अधिकारी मुलताई को दिनांक 31.05.2012 को की गयी जो कि निरस्त कर दी गयी। तत्पश्चात किमश्नर होशंगाबाद को दिनांक 30.03.2017 को की गयी वह भी निरस्त कर दी गयी। चूंकि विवादित भूमियों पर आधिपत्य एकमात्र वादी का है और वह विवादित भूमियों में

निर्मित मकान में निवास भी करता है। प्रतिवादीगण वादी के आधिपत्य में हस्तक्षेप कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है। अतः आवेदन स्वीकार किया जावे।

3 प्रतिवादी के द्वारा उपर्युक्त आवेदन का लिखित में जवाब पेश कर यह लेख किया गया कि विवादित भूमियों वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता रामजी की स्वअर्जित भूमियां है जो कि रामजी के द्वारा 04.05.1995 को रिजस्टर्ड विकय पत्र से कय की गयी थी। उपर्युक्त भूमि रामजी के द्वारा पंजीकृत वसीयत कमांक 234 दिनांक 19.10.2000 ख.नं. 347/2, 350/8, 350/15 रकबा कमशः 0.036, 0.069, 0.005 कुल रकबा 0.110 हे. एवं उस पर निर्मित मकान, दुकान और गोदाम उन्हें वसीयत कर दी गयी है। वसीयतनामे के आधार पर प्रतिवादीगण का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज भी हो गया है। वादी का विवादित भूमियों के निर्मित मकान के केवल दो हिस्सों पर कब्जा है जो कि अवैध है। वादी एवं प्रतिवादी के पिता स्व. रामजी सेवा निवृत्त शासकीय कर्मचारी थे। इस प्रकार वादी ने न्यायालय में तथ्यों का छिपाव किया गया है। अतः आवेदन निरस्त किया जावे।

4 आवेदन के निराकरण हेतु न्यायालय में समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु है :--

- 1. क्या वादीगण के पक्ष प्रथम दृष्टया मामला है ?
- 2. क्या सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में किया ?
- 3. क्या आवेदन निरस्त किए जाने से वादीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी ?

# निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार विचारणीय प्रश्न क. 1 का निराकरण

वादी के द्वारा अपने आवेदन में यह बताया गया है कि विवादित भूमियों उसके द्वारा अपने पिता के नाम से क्रय की गयी थी। जबिक प्रतिवादी क. 01 एवं 02 ने वसीयतनामा के आधार पर विवादित भूमियों पर अपना स्वत्व एवं आधिपत्य बताया है। विवादित भूमियां वादी एवं प्रतिवादी के पिता रामजी के नाम पर दर्ज होना उभयपक्ष के मध्य स्वीकृत है। साथ ही वादी की ओर से इस संबंध में दस्तावेज विक्रय पत्र दिनांक 04.05.1995 प्रस्तुत किया गया है जिसमें केता के रूप में मात्र वादी एवं प्रतिवादी के पिता रामजी का नाम दर्ज है। विवादित भूमियां वादी ने स्वयं की आय से क्रय करना बताया है परंतु यह साक्ष्य का विषय है जिसका निराकरण विधिवत साक्ष्य उपरांत किया जा सकता है। साथ ही प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत वसीयतनामा की वैधता का निर्धारण भी इस स्तर पर नहीं किया जा सकता।

6 यदि उभयपक्ष के मध्य वसीयतनामा का अभाव होता तब वादी एवं

प्रतिवादी के पिता रामजी की मृत्यु उपरांत विवादित भूमियां उत्तराधिकार में रामजी के समस्त वारसान अर्थात उनके पुत्र, पुत्री एवं पत्नी को प्राप्त होती। वादी स्व. रामजी का पुत्र है। अतः वसीयत के अभाव में उसका भी विवादित भूमि पर अन्य प्रतिवादीगण के साथ बराबर का स्वत्व होगा। ऐसी स्थिति में वादी के द्वारा विचारण योग्य प्रश्न उठाया गया है। फलतः प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में पाया जाता है।

#### विचारणीय प्रश्न क. 2 एवं 3 का निराकरण

वादी ने विवादित भूमि पर अपना आधिपत्य होना बताया है परंतु वादी की ओर से विवादित भूमि के संबंध में खसरा एवं किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2016-17 प्रस्तुत की गयी है जिन पर मात्र प्रतिवादीगण का नाम दर्ज है परंतु स्वयं प्रतिवादीगण ने विवादित भूमि पर निर्मित मकान के कुछ भाग पर वादी का आधिपत्य होना बताया है। वादी की ओर से ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं कि संपूर्ण विवादित भूमि पर एकमात्र आधिपत्य वादी का हो। चूंकि प्रथम दृष्टया वादी एवं प्रतिवादीगण का स्व. रामजी के वारसान होने के नाते विवादित भूमि पर बराबर अंश होना परिलक्षित हो रहा है। इसलिए प्रतिवादीगण को विवादित संपत्ति के उपयोग एवं उपभोग से वंचित किया जाने के लिए व्यादेश जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है परंतु विवादित भूमि के विक्रय अथवा अन्यथा अंतरण पर रोक नहीं लगायी जाती है तो निश्चित ही वादी को तीसरे व्यक्ति को भी पक्षकार बनाना होगा जिससे वाद बाह्ल्यता की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः वादी को निश्चित ही इससे असूविधा होगी और उससे होने वाली क्षति प्रतिवादी की तुलना में अत्यधिक होगी। फलतः वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन आंशिक रुप से स्वीकार किया जाता है।

- वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन आंशिक रुप से स्वीकार कर प्रतिवादीगण को निषेधित किया जाता है कि वह प्रकरण के निराकरण तक विवादित भूमि ख. नं. 350 / 9, 350 / 15, 347 / 2 रकबा क्रमशः 0.036, 0.069, 0.005 हे. स्थिति ग्राम बोडखी, तहसील आमला का विक्रय या अन्यथा अंतरण स्वयं अथवा अन्य किसी के माध्यम से ना करे।
- आवेदन का निराकरण का प्रकरण के गुण-दोष के आधार पर पारित निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं होगा। आवेदन के निराकरण का व्यय प्रकरण के परिणाम पर निर्भर करेगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित। तथा दिनांकित कर पारित ।

(श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, आमला, जिला बैतूल

(श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, आमला, जिला बैतूल